



- : महा घोटाला :-

62 करोड़ डकारने वाले 5 भ्रष्ट अफसरों पर कसा शिकंजा, संपत्तियां कुर्क!

खंडवा। भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हो सकती हैं, इसका जीता-जागता सुबूत है पिपलानी प्राथमिक सहकारी समिति का महाघोटाला। किसानों और सहकारिता के नाम पर करोड़ों का गोलमाल करने वाले भ्रष्टाचारियों पर आखिरकार प्रशासन का हथौड़ा चल ही गया है। इसे मध्यप्रदेश का संभवतः सबसे बड़ा सहकारिता घोटाला माना जा रहा है, जिसमें 62 करोड़ 78 लाख 6 हजार 34 रुपये की विशाल राशि की रिकवरी के लिए उप पंजीयक (सहकारी संस्थाएं) न्यायालय ने पांच तत्कालीन अधिकारियों और कर्मचारियों को अचल संपत्तियों को तत्काल प्रभाव से कुर्क (अटैच) कर दिया है।

इन धनकुबेरों पर गिरी गाज

सरकारी खजाने को करोड़ों की चपत लगाने वाले जिन लोगों के गिरेबान तक कानून के हाथ पहुंचे हैं, उनमें पिपलानी समिति के तत्कालीन समिति प्रबंधक श्रीराम राजपूत व महेन्द्र सिंह ठाकुर, तत्कालीन लिपिक उमाशंकर सोलंकी, सहायक प्रबंधक कृपाल सिंह धुर्वे और हरीश चौरसिया शामिल हैं। आदेश स्पष्ट है- जब तक इस महाघोटाले का अंतिम फैसला नहीं आ जाता, तब तक इनकी तमाम अचल संपत्तियां अटैच रहेंगी।

पाई-पाई वसूलने की तैयारी, जिले में खौफ

62.78 करोड़ रुपये कोई छोटी-मोटी रकम नहीं है। प्रशासन ने इस बड़ी कार्रवाई से साफ संदेश दे दिया है कि भ्रष्टाचारियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और शासन की पाई-पाई वसूली जाएगी। सहकारिता विभाग की इस ऐतिहासिक और कड़क कार्रवाई से जिले भर की अन्य सहकारी समितियों और वहां बैठे मठाधीशों की नींद उड़ गई है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि अंतिम फैसले के बाद इन अफसरों पर और क्या कानूनी गाज गिरती है।

विकास कार्यों की सौगात देंगे मंत्री विजय शाह कल

नवभारत न्यूज़
खंडवा। प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह 15 जुलाई को खंडवा जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे फेफरी सरकार, खंडवा और छेगांवमाखन में करोड़ों रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन करेंगे। महिला सम्मेलन सहित कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मंत्री डॉ. शाह सुबह 10 बजे खंडवा से फेफरी सरकार के लिए रवाना होंगे। सुबह 11.30 बजे वे

शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के नवीन भवन का लोकार्पण करेंगे तथा विधानसभा स्तरीय महिला सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके बाद दोपहर 1.30 बजे खंडवा लौटेंगे। दोपहर 3.30 बजे नगर निगम क्षेत्र में मुख्यमंत्री अधोसंरचना मद से निर्मित रामेश्वर कुंड, पदमकुंड सहित विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन व लोकार्पण करेंगे। जहां जनजातीय कार्य विभाग द्वारा निर्मित सीनियर जनजातीय बालक छात्रावास भवन का लोकार्पण करेंगे।

जल, जंगल और जमीन की कानूनी लड़ाई

बेदखली के खिलाफ आदिवासियों की हुंकार

खंडवा। खंडवा में वनभूमि से अतिक्रमण हटाने की प्रशासनिक मुहिम सोमवार को एक बड़े जनआंदोलन में तब्दील हो गई है। सर्व आदिवासी समाज के बैनर तले हजारों आदिवासियों ने प्रशासन की कार्रवाई को असंवैधानिक करार देते हुए स्टेडियम ग्राउंड में विशाल प्रदर्शन किया। यह आंदोलन वनाधिकार अधिनियम (2006) और पेसा कानून के तहत आदिवासियों के अपने पारंपरिक अधिकारों को बचाने की आर-पार की लड़ाई बन गया है। इस पूरे प्रदर्शन के केंद्र में भिलाईखंडा के वे प्रभावित परिवार हैं, जिन पर प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है।

आदिवासी समाज के पदाधिकारियों का सीधा आरोप है कि प्रशासन वनाधिकार अधिनियम, 2006 की भावना के विपरीत काम कर रहा है। उनका तर्क है



कि जब तक वनभूमि पर पात्र परिवारों के दावों का कानूनी और निष्पक्ष तरीके से पूर्ण निराकरण नहीं हो जाता, तब तक किसी भी परिवार को उसकी जगह से बेदखल करना गैर-कानूनी है। प्रदर्शनकारियों ने सिर्फ नारेबाजी नहीं की, बल्कि अपने अधिकारों के समर्थन में संविधान और कानूनों का पुरजोर हवाला दिया। सभा में वनाधिकार अधिनियम की धारा 4 (5), पेसा कानून और संविधान के अनुच्छेद 46 का विशेष रूप से जिक्र

करते हुए स्पष्ट किया गया कि इन कानूनी प्रावधानों के तहत आदिवासियों के हितों और अधिकारों की रक्षा करना शासन-प्रशासन की ज़िम्मेदारी है। आदिवासियों का दावा है कि वे पीढ़ियों से जंगलों में रह रहे हैं, इसलिए %जल, जंगल और जमीन% पर उनका वैधानिक और पारंपरिक अधिकार है। बिना वैधानिक प्रक्रिया पूरी किए कोई भी बेदखली उन्हें स्वीकार नहीं होगी।



प्रशासन के खिलाफ गुंजते नारे - रेली के रूप में शहर से होते हुए स्टेडियम पहुंचे हजारों लोगों को रोकने के लिए पुलिस को बैरिकेडिंग करने पड़ी। बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थीं। ग्राउंड में हुई सभा में प्रशासन के खिलाफ भारी आक्रोश देखने को मिला। प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टर तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, वनाधिकार अधिनियम का पालन करो, दावे का निराकरण किए बिना बेदखली नहीं चलेगी, आदिवासी अधिकारों पर

हमला बंद करो, आदिवासी अधिकार नहीं छिनेंगे जैसे नारों के साथ आवाज बुलंद की। सर्वआदिवासी समाज ने इसे अपने वजूद और अधिकारों की रक्षा का आंदोलन घोषित किया है। प्रशासन से अपील की गई है कि वह प्रभावित परिवारों की मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाए। प्रशासन को चेतावनी भी दी गई है कि यदि उनकी मांगें अनसुनी की गईं, तो यह आंदोलन आने वाले दिनों में और अधिक उग्र तथा व्यापक रूप लेगा।

स्टॉप डायरिया सह दस्तक अभियान आज से

नवभारत न्यूज़
खंडवा। जिले में 14 जुलाई से 31 अगस्त तक स्टॉप डायरिया सह दस्तक अभियान चलाया जाएगा। अभियान के तहत जन्म से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों के स्वास्थ्य की घर-घर जाकर जांच की जाएगी तथा बीमार बच्चों की पहचान कर समय पर उपचार सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. ओपी जुगतावत ने बताया कि अभियान के दौरान गंभीर कुपोषण, एनीमिया, निमोनिया और डिहाइड्रेशन से पीड़ित बच्चों

की पहचान कर उपचार एवं जरूरत पड़ने पर रेफर किया जाएगा। साथ ही बच्चों को विटामिन-ए की खुराक, ओआरएस के पैकेट और जिक की गोलियां भी वितरित की जाएंगी। अभियान में स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग की संयुक्त टीमों, जिनमें एएनएम, आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शामिल हैं, घर-घर जाकर पांच वर्ष तक के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण करेंगी और अभिभावकों को दस्त से बचाव एवं स्वच्छता के प्रति जागरूक भी करेंगी।

पदोन्नति प्रक्रिया में लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त : कलेक्टर

नवभारत न्यूज़

खंडवा। कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने जिला स्तर पर कर्मचारियों की पदोन्नति की सभी लंबित प्रक्रियाएं निर्धारित प्रावधानों के अनुसार समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित साप्ताहिक समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों से कहा कि पदोन्नति संबंधी कार्रवाई शीघ्र पूरी कर जानकारी शासन को भेजी जाए।

जिला पंचायत के सीईओ डॉ. नागार्जुन वी गौड़ा, अपर कलेक्टर सृष्टि देशमुख गौड़ा, अरविंद चौहान, के.आर. बड़ोले सहित सभी एसडीएम, तहसीलदार, जनपद पंचायतों के सीईओ, नगरीय निकायों के सीएओ एवं विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर ने



प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के तहत अधिक से अधिक असंगठित कामगारों का पंजीयन कराने के निर्देश दिए। उन्होंने खालवा और खंडवा जनपद पंचायत में योजना की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई। उन्होंने बताया कि 15 हजार रुपये तक मासिक आय वाले पात्र

असंगठित श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद प्रतिमाह 3 हजार रुपये की सुनिश्चित पेंशन का लाभ मिलेगा।

बैठक में कलेक्टर ने वर्षा ऋतु को देखते हुए सड़कों एवं पुल-पुलियों की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश भी दिए। साथ ही जिला शिक्षा

अधिकारी और महिला एवं बाल विकास विभाग को राजस्व विभाग के समन्वय से स्कूलों और आंगनवाड़ी परिसरों की शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से खंडवा गौव दिवस की तैयारियां भी अभी से शुरू करने को कहा।

जिले में 117 गुंडे और 34 निगरानी बदमाश थानों में तलब ,पुलिस ने तैयार किए डोजियर

नवभारत न्यूज़
खंडवा। जिले में अपराधियों पर निगरानी और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से खंडवा पुलिस ने सोमवार को सभी थाना एवं चौकी स्तर पर गुंडा परेड आयोजित की। पुलिस अधीक्षक अगम जैन के निर्देश पर जिलेभर के थाना प्रभारियों ने सूचीबद्ध गुंडों और निगरानी बदमाशों को थानों में बुलाकर उनकी गतिविधियों की जानकारी ली और भविष्य में किसी भी आपराधिक गतिविधि से दूर रहने



की सख्त हिदायत दी। पुलिस के अनुसार जिले के सभी थानों में आयोजित इस कार्रवाई के दौरान

कुल 117 गुंडा बदमाश और 34 निगरानी बदमाशों की जांच की गई। सभी का सत्यापन कर उनके

डोजियर तैयार किए गए तथा वर्तमान गतिविधियों की जानकारी दर्ज की गई। पुलिस

अधिकारियों ने बताया कि पूर्व में आयोजित गुंडा परेड के सकारात्मक परिणाम सामने आने के बाद यह अभियान दोबारा चलाया गया है। इस बार विशेष रूप से सक्रिय एवं हाल ही में सूचीबद्ध किए गए बदमाशों को थाने बुलाकर समझाइश दी गई कि यदि वे कानून-व्यवस्था भंग करने या किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल पाए गए तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

3 साल से फरार इनामी आरोपी गिरफ्तार

नवभारत न्यूज़
खंडवा। मांघाटा थाना पुलिस ने वर्ष 2023 से फरार चल रहे तीन हजार रुपये के इनामी आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। आरोपी लंबे समय से गिरफ्तारी से बच रहा था। पुलिस के अनुसार आरोपी चंद्रकांत उर्फ गोलू पिता सदन भालेराव, निवासी लौंदी, थाना बेडिया, जिला खरगोन के खिलाफ वर्ष 2023 में गाली-गलौज और मारपीट की शिकायत पर मांघाटा थाने में अपराध दर्ज किया गया



था। विवेचना के दौरान आरोपी फरार हो गया था। आरोपी को गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए पुलिस अधीक्षक खंडवा ने उस पर तीन हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। लगातार तलाश के दौरान पुलिस टीम ने आरोपी को मऊ

(जिला इंदौर) से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक अनोख सिंह सिंदिया, उप निरीक्षक लखन डावर, सहायक उप निरीक्षक आशीष लाड एवं आरक्षक पंकज की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

एचडीएफसी इर्गा ने लागू की पीएम फसल बीमा योजना

खंडवा। एचडीएफसी इर्गा जनरल इश्योरेंस कंपनी को मध्य प्रदेश सरकार ने रबी-2026 सीजन के लिए अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, धार, झाबुआ, खंडवा (पूर्वी निमाड़) और खरगोन जिलों में ऋणी और गैर-ऋणी किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमफबीवाई) लागू करने के लिए अधिकृत किया है।

इन जिलों में इस योजना का क्रियान्वयन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा योजना के अंतर्गत अधिसूचित फसलों के लिए किया जाएगा, जिन्हें लिए फसलों के अनुसार अंतिम तिथि 31 जुलाई है। इस योजना के अंतर्गत फसल चक्र के हर चरण के लिए बीमा

कवर मिलेगा, जिसमें बुआई से पहले, कटाई और कटाई के बाद के जोखिम भी शामिल हैं। पीएमफबीवाई योजना के अंतर्गत आने वाले सभी उत्पाद मध्यप्रदेश सरकार के कृषि विभाग से अनुमोदित हैं। अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, धार, झाबुआ, खंडवा (पूर्वीनिमाड़) और खरगोन जिलों के किसान अपने जिले के बैंक, कॉमन सर्विस सेंटर (पीएससी) या अधिकृत एचडीएफसी इर्गा एजेंट से ऊपर सूचीबद्ध फसलों के लिए पीएमफबीवाई योजना के अंतर्गत बीमा कवर प्राप्त कर सकते हैं। बीमा कवर प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं अन्य विवरण कृषि विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

सास-बहू सम्मेलनों में महिलाओं को बताया छोटे परिवार का महत्व

नवभारत न्यूज़

खंडवा। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर जिले में जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित विषयों पर केंद्रित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं। इसी क्रम में किल्लौद विकासखण्ड के ग्राम रोसड़, विल्लौद, मालूद, झागरिया, मिनावा, सोमागांव, गंभीर तथा हरसुद विकासखण्ड के ग्राम रेवापुर में सास बहू सम्मेलन आयोजित किए।

किल्लौद की खण्ड चिकित्सा अधिकारी डॉ. नीलम मिश्रा ने बताया कि सास बहू सम्मेलन में सी.एच.ओ. व एएनएम द्वारा

उपस्थित महिलाओं को छोटे परिवार के महत्व के बारे में बताया गया और परिवार नियोजन के अस्थायी साधनों के संबंध में जानकारी दी गई। इस दौरान मातृत्व स्वास्थ्य व शिशु स्वास्थ्य की जानकारी के साथ सास बहू में आपसी सामंजस्य, बच्चों में अंतराल तथा छोटे परिवार के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। डॉ. नीलम मिश्रा ने सम्मेलन में कहा कि वर्तमान में लड़का लड़की एक समान हैं, क्योंकि लड़कियां भी लड़कों की तरह पढ़ लिखकर उच्च पदों पर कार्य कर रही हैं,



और अपने परिवार व माता पिता का नाम रोशन कर रही हैं। इसलिए बालिकाओं को उच्च

राज्य स्तरीय पुरस्कारों के लिए आवेदन अब कर सकेंगे 31 अगस्त तक

नवभारत न्यूज़
खण्डवा। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा वर्ष 2025 के राज्य और जिला स्तरीय पुरस्कारों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर अब 31 अगस्त कर दिया गया है। 6 अलग-अलग श्रेणियों में राज्य और जिला स्तर पर पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इसमें विजेताओं को एक लाख तक की सम्मान निधि और प्रशस्ति पत्र देकर पुरस्कृत किया जाता है। इसके तहत बाल विवाह और दहेज जैसी सामाजिक क्रूरियों के खिलाफ आवाज उठाने तथा पीड़ितों के पुनर्वास में योगदान

देने वाली बालिकाओं और महिलाओं को रानी अवती बाई राज्य स्तरीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसी प्रकार महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा, साक्षरता और पर्यावरण सुधार के क्षेत्र में प्रमाणिक कार्य करने वाली महिलाओं को राजमाता विजयाराजे सिंधिया समाज सेवा पुरस्कार दिया जाएगा, जबकि इसी कार्य क्षेत्र में सक्रिय पुरुषों और स्वयंसेवी संस्थाओं के लिए श्री विष्णु कुमार महिला बाल कल्याण समाज सेवा सम्मान से पुरस्कृत किया जाएगा। इसके अलावा अपराधियों और असामाजिक

तत्वों के खिलाफ लोहा लेने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए भी विभाग ने विशेष श्रेणियों की प्रकाश के हमले या हिंसा का डटकर मुकाबला करने वाली और आत्मरक्षा की अनुठी मिसाल पेश करने वाली जांबाज महिलाओं को अरुणा शानबाग वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इच्छुक आवेदक इस प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आवेदन का निर्धारित प्रारूप विभागीय वेबसाइट www.mpwcdmis.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं या सीधे अपने जिले के जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल

राशि तय की गई है। इसके अतिरिक्त, अपने ऊपर हुए किसी भी प्रकार के हमले या हिंसा का डटकर मुकाबला करने वाली और आत्मरक्षा की अनुठी मिसाल पेश करने वाली जांबाज महिलाओं को अरुणा शानबाग वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इच्छुक आवेदक इस प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आवेदन का निर्धारित प्रारूप विभागीय वेबसाइट www.mpwcdmis.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं या सीधे अपने जिले के जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल

विकास कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। पूर्ण रूप से भरे गए आवेदनों को सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ अंतिम तिथि से पहले जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय में जमा कराना होगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि आवेदन पत्र पर उस विशिष्ट पुरस्कार का नाम साफ तौर पर लिखा होना चाहिए जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है। जिन उम्मीदवारों ने पूर्व में ही समय-सीमा में अपने आवेदन जमा कर दिए थे, उन्हें दोबारा फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है, उनके पुराने आवेदनों को पूरी तरह वैध माना जाएगा।

69 दिव्यांगों को सहायक उपकरणों के लिए शिविर में किया चिह्नित

नवभारत न्यूज़

खण्डवा। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा सोमवार को जनपद पंचायत खालवा के सभागृह में ऐलिम्फो कंपनी के सहयोग से दिव्यांगजनों के लिए उपकरण चिन्हांकन और केलिपर्स वितरण शिविर आयोजित किया।

शिविर में कुल 84 दिव्यांगजनों का पंजीकरण किया गया। इस दौरान 69 दिव्यांगजनों को पात्रता के अनुसार 10 मोटराइज्ड ट्रायसिकल, 23 ट्रायसिकल, 38 बैसाखी, 8 वॉकिंग स्टिक, 20



व्हीलचेयर सहित कुल 138 अन्य सहायक उपकरणों के लिए चिन्हांकित किया गया। शिविर के दौरान 21 कृत्रिम पैर उपलब्ध कराकर जरूरतमंद दिव्यांगजनों

को तत्काल लाभान्वित किया गया। जिला चिकित्सालय से आई डॉक्टरों की टीम द्वारा 30 दिव्यांगजनों के विकलांगता प्रमाण पत्र बनाये गए।